FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. **District (जिला):** देहरादून **P.S. (थाना):** रायपुर **Year (वर्ष):** 2026

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0080 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 21/02/2026 19:14 घंटे

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	121(1)
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	191(2)
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	324(3)
4	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	351(3)
5	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	352

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

Day (दिन): शनिवार **Date from (दिनांक से):** 21/02/2026 **Date To (दिनांक तक):** 21/02/2026

Time Period (समय अवधि): पहर 5 **Time From (समय से):** 12:10 बजे **Time To (समय तक):** 12:10 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 21/02/2026 **Time (समय):** 19:10 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 043 **Date and Time (दिनांक और समय):** 21/02/2026 19:10 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **Beat No. (बीट सं.):**

(a) Direction and distance from P.S.
(थाना से दूरी और दिशा): पश्चिम, 02 कि. मी.

(b) Address (पता): प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): श्री अजय कुमार नौडियाल

(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1967 **(d) Nationality (राष्ट्रीयता):** भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, रायपुर, देहरादून, उत्तराखंड, भारत
2	स्थायी पता	निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, रायपुर, देहरादून, उत्तराखंड, भारत

(j) Phone number (दूरभाष सं.): **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-9410943500

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या): 0

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)	Permanent address (स्थाई पता)
1	मा0 विधायक श्री उमेश शर्मा काऊ			1. रायपुर देहरादून,रायपुर,देहरादून, उत्तराखंड,भारत	1. रायपुर देहरादून,रायपुर,देहरादून,उत्तराखंड,भारत
2	अन्य लोग			1. नाम पता अज्ञात,रायपुर,देहरादून,उत्तराखंड,भारत	1. नाम पता अज्ञात,रायपुर,देहरादून,उत्तराखंड,भारत

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Nature of Property (संपत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

नकल तहरीर हिन्दी वादी - प्रेषक, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड ननूरखेडा, देहरादून। सेवा में, थानाध्यक्ष थाना रायपुर, देहरादून। विषयः- प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड में निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड एवं कर्मचारियों के साथ जानलेवा हामला, मारपीट / गालीगलौज एवं कार्यालय के बाहर जान से मारने की धमकी के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में। महोदय, उपर्युक्त विषयक निवेदन है कि आज दिनांक 21 फरवरी, 2026 समय लगभग 12:10 अपराहन में मा०विधायक श्री उमेश शर्मा काऊ

एवं उनके साथ अन्य लोगों के द्वारा मेरे कार्यालय कक्ष, निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा ननूरखेडा में प्रवेश किया गया जिसकी मुझे पूर्व सूचना नही थी। तदसमय मेरे कक्ष में कार्यालय कार्मिकों श्री एस०पी०डबराल, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, श्री मुकेश बहुगुणा, एम आई एस प्रभारी एवं अन्य के द्वारा विभागीय कार्यों से संबंधित पत्रावलियों पर चर्चा की जा रही थी। माननीय विधायक श्री उमेश शर्मा काऊ द्वारा निदेशक के कक्ष में प्रवेश करते ही सभी कार्मिकों को गाली गलौच करने हुए बाहर निकलने के लिए कहा गया तथा उनके साथ आये अन्य लोगो बाहर न जाने पर परिणाम भुगतने की धमकी दी गयी। मा० विधायक के निर्देशों का पालन करते हुए कार्मिक बाहर निकल गये। कार्मिकों के बाहर निकलते ही मा० विधायक श्री काऊ द्वारा अपने साथ आये लोगो को दरवाजा बन्द करने के लिए कहा गया और साथ ही अपने अन्य साथियों को मेरे फोन को जब्त करने के लिए कहा गया। अब कक्ष में मैं अकेला था जबकि मा० विधायक एवं उनके साथी मुझे लगातार गांलियों दे रहे थे साथ ही राजकीय प्राथमिक विद्यालय का कार्य उनके सम्मुख ही निस्तारित करने के लिए कह रहे थे। मेरे द्वारा मा० विधायक को जानकारी दी गयी कि प्रकरण उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित किया गया है तथा इस पर निर्णय शासन स्तर से ही लिया जा सकता है । मा० विधायक एवं उनके साथी लगातार मुझे जान से मारने की धमकी देते रहे और धक्कामुक्की करते रहे। दरवाजा अन्दर से बन्द था तथा गाली गलौच की जा रही थी जिसकी आवाज कक्ष से बाहर संभवतः जा रही थी इसलिए मा० विधायक के इस व्यवहार एवं उनके साथ आये अन्य व्यक्तियों के गुंडागरदी को देखते हुए कार्यालय कार्मिक कक्ष के बाहर एकत्रित होने लगे और कक्ष खोलने हेतु अनुरोध करने लगे लेकिन दरवाजा नहीं खोला गया। निदेशक के साथ किसी अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए कार्मिकों द्वारा समय 12.37 पर 112 (पुलिस) को उक्त घटना से अवगत कराया गया तथा तत्काल सहायता की मांग की गयी। रिपोर्ट करने के कुछ समय बाद कार्मिकों के जोर जबरदस्ती के बाद अन्दर से दरवाजा खोला गया तथा कार्मिक अन्दर आ गये। कार्मिकों द्वारा अन्दर आने के बाद बीच-बचाव करने की कोशिश की गयी लेकिन मा० विधायक एवं उनके साथी मारपीट पर उतारू हो गये और उनके द्वारा महिला कार्मिकों के साथ भी गाली गलौच एव अभद्रता की गयी। जब कार्मिकों के द्वारा मुझे बचाने हेतु प्रयास किया गया तो गा० विधायक श्री उमेश शर्मा काऊ एवं उनके अन्य साथियों द्वारा मुझपर जानलेवा हामला किया गया और जो कार्मिक बचाव में आये उनपर भी जानलेवा हामला कर दिया जिससे मैं एवं मेरे कुछ कार्मिक घायल हो गये इस अवधि में अन्य निकटवर्ती कार्यालयों के अन्य कार्मिक भी मेरे कार्यालय में एकत्रित हो गये। बढ़ती हुई भीड को देखते हुए मा० विधायक एवं उनके साथ आये गुण्डों द्वारा कार्यालय पत्रावलियों को फाड दिया गया तथा कुछ कागज साथ भी ले गये, मेरे कार्यालय के फर्नीचर उठाकर मुझपर एवं अन्य कार्मिकों पर फेंकते हुए बाहर निकल गये। इस जानलेवा हमले में मेरे आंख एवं चेहरे पर गंभीर चोटें आयी तथा मुझे तत्काल चिकित्सालय ले जाया गया। मा० विद्यालय के साथ आये गुण्डे मेरे कक्ष में हुई मारपीट से संतुष्ट नहीं हुए तथा उनके द्वारा कार्यालय के बोर्ड, गमले आदि तोडते हुए एवं गालीगलौच करते हुए बार निकल गये। निकलते समय मा० विधायक के साथ आये गुण्डों द्वारा मुझे कहा गया कि अभी तो तू बच गया है अगली बार तुझे नही छोडेगे साथ ही मेरे कार्मिकों को गोली मारने की भी धमकी दी गयी। कार्यालय से बाहर निकलते ही प्रागण में मा० विधायक के साथ आये गुण्डे मेरे विरूद्ध नारेबाजी करने लगे। महोदय यदि समय पर मेरे कार्यालय कार्मिकों द्वारा कक्ष न खोला जाता तो मा० विधायक एवं उनके साथ आये गुण्डे मुझे जान से मार देते क्योकि वे अपने साथ ईट आदि भी लेकर आये थे। अतः मेरा अनुरोध है कि उक्त संबंधित पक्षों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए सुसंगत धाराओं में कार्यवाही करते हुए मेरी एवं मेरे कार्मिको की जान-माल की सुरक्षा भी की जाय। संलग्नक स्वयं तथा कार्मिकों का मेडिकल मूल रूप में भवदीय हस्ता0 अंग्रेजी अपठित 21.02.26 (अजय कुमार नौडियाल) मोहर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड । 9410943500

नोट – मैं कानि0 1551 पंकज ढौंडियाल प्रमाणित करता हूँ कि तहरीर की नकल शब्द व शब्द टाईप की गयी

है ।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** Sanjay Rawat **Rank (पद):** उपनिरीक्षक/ अवर निरीक्षक

No. (सं.): na **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Girish Negi

Rank (पद): SI (Sub-Inspector)

No. (सं.): 1234

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	**Sex (लिंग)**	**Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)**	**Build (बनावट)**	**Height (cms) (कद (से.मी.))**	**Complexion (रंग)**	**Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	पुरुष	1965				**चेचक:** नहीं
2	पुरुष	2001				**चेचक:** नहीं

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	**Teeth (दाँत)**	**Hair (बाल)**	**Eye (आँखें)**	**Habit(s) (आदतें)**	**Dress Habit (s) (पहनावा)**
8	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**

Language/Dialect (भाषा/बोली)	**Place of (का स्थान)**					**Others (अन्य)**
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	**Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))**	**Mole (मस्सा)**	**Scar (घाव)**	**Tattoo (गूदे हुए का)**	
14	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)